

शिक्षा का अधिकार (Right To Education – Government Plans)

उद्देश्य

- देश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
- प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को कम करना
- माध्यमिक, तकनीकी और उच्च स्तर पर शिक्षा के अवसरों तक पहुँच बढ़ाना

अपेक्षित लाभार्थी मुख्य विशेषताएं

- 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा

- ये बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकृत हैं।
- आरटीई अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए जाने को सुनिश्चित करता है।
- देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए इसमें निम्न प्रावधान भी हैं:-
- बुनियादी सुविधाओं में सुधार
- सरकारी विद्यालयों में नए शिक्षक पदों की मंजूरी।
- निशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं
- आरटीई उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की तर्कसंगत परिनियोजन एवं उचित छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करता है।
- आरटीई संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम का विकास सुनिश्चित करता है।
- आरटीई निम्न पर प्रतिबंध लगाता है:
- (क) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न
- (ख) बच्चों के प्रवेश के लिए **स्क्रीनिंग** टेस्ट (जांच)
- (ग) **कैपिटेशन** फीस (शुल्क)
- (घ) शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन और
- (ङ) बिना मान्यता के विद्यालय चलाना।